

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1711 / 12-1

बागेश्वर

दिनांक : 03/01/2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठान दारसिंह खातीगाँव नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.5 किमी० मिलान मो० मार्ग प्रस्ताव संख्या (15682/2015।

सन्दर्भ:- Online EDS dated 10-08-2016.

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Short narrative of the project in online Part I do not give adequate information.	Construction of Phaithan Darsingh Khatigun Natishera to Bantola Motor road (9.5 Km). Starting from Km 34 & 35 of BDDK motor road. Connecting villages of Phaithan Darsingh, Khatigun Natishera Teshil Kapkot, District Bageshwar (जिसे पार्ट 1 में ऑन लाईन भर दिया गया है)।
2	Authority letter is not issued for the applicant in Part I.	Due to transfer of Executive Engineer Er. Hrish Pangti applicant authority is changed, now new applicant authority is Er Krishna Kumar Tilara.(Attached authority letter part 1A-3).

3	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to villages Natishera and Bhantola is not provided with the FRA certificate.	VLC of Bhantola village is now provided and uploaded in Part I Natishera is basically a sub village/Tok of Horali therefore no need to provide VLC of Phaithan.
4	In the village wise break up the village Horali is not mentioned while it enlisted among the village to be benefited by the road. It is also not justified that only three villages are enlisted in the list to be benefited from the road and on the other hand only two village to be benefited from the road mentioned by CF in his recommendation in online Part II but the village wise break up gives details of four villages. The State Govt. may rectify the information in all segment and give correct detail for the same with proper justification if required.	Proposed road passes through four revenue villages, named Phaithan-Darsingh, Horali & Bantola. Now in village wise break up all these villages are enlisted of all four villages are benefited through this road.
5	The component wise break up does not show area marked for muck disposal and other component like bridge in online Part I. the State Govt. may upload/provide the correct detail in online Part I.	Whole of the muck diaposal is carried out in non forest Nap land therefore it is not included in component wise break up and certificate of the same is attached and uploaded.
6	The State Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated Geo-referenced digital Map in google earth Map which is not acceptable. The State Govt. may provide/upload the correct Map showing Geo-Coordinates at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct	The revised new GIS software generated geo-referenced digital Map showing geo-coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300m, including all turns are uploaded in(part I C).

	revised Map in online Part I.	
7	The geo referenced digital Map of area proposed for CA uploaded is not acceptable for the purpose as provided without mentioning geo coordinates for all corners. The State Govt. may provide/upload GIS software generated digital map of the area proposed for CA providing geo-coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The google earth map will not accepted for the purpose.	The revised new soft copy of the geo referenced digital Map for the land proposed for CA has been submitted in google earth map(KML file) uploaded in (part I L).
8	The SOI toposheet map locating area proposed for CA is not uploaded in Part I. the Map uploaded in this column is Google earth map. The State Govt. may upload the correct file.	The revised new toposheet map uploaded in Part I.
9	Copy of map indicating location of alternative examined is not uploaded in the designated place in Part I.	Detail of alternative examined provided/uploaded in online Part I at designated column.
10	Justification of locating the project in forest land uploaded in Part I is not satisfactory. The State Govt. may upload revised justification in the designated column.	Revised justification is now uploaded.
11	125 trees per hectare does not account for 0.2 density. The State Govt may revise the density accordingly in online Part II.	Revised NPV certificate has been enclosed according to the density corrected in the Part I and Part II.
12	In the site inspection report by DFO is incomplete as the point 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5, are not answered by the DFO. The same may be rectified and	Corrected SIR report has been enclosed in online form A part II at the designated column.

	corrected SIR may upload in the designated place in online Part II.	
13	In the muck disposal plan it is not clear that the place identified for the disposal of muck during the construction is in forest area or in private land. If the area marked for muck dumping is in area which attracts provisions of FCA, 1980 then the State Govt. may clarify that whether this area included in the area proposed for diversion or not. If not then revised proposal after addition of this area may be submit to this office along with all necessary revised document/information.	Now all the muck disposal will be carried out in non forest Nap land. The previously shown locations which are situated in forest area are removed and whole of the muck is disposed of in Nap Land therefore, no need to revise the proposal certificate of the same is now uploaded and attached at designated place.

अतः प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,



(एम0बी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर



प्रारूप-1

Mr. K.K.Tilara (Executive Engineer) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Phaithan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km)** of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Institution name/designation)

1/5.7.16

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

□

प्रारूप-1

Mr. **K.K.Tilara (Executive Engineer)** is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Phaithan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km)** of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Instituion name/designation)

1/5.9.16

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

परियोजना का नाम-वनपट्ट बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाई-दारसिंह
खातीगांव नामीसेरा से मन्तेला तक 9.50 मो. मार्ग का
निर्माण

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारसिंह

तहसील का नाम दुगनापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 0.90 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.150
... हे०) अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारसिंह द्वारा दिनांक 18-7-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम दारसिंह के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

के.एस. सिंह
सरपंच
वन पंचायत दारसिंह
ग्राम सचिव दारसिंह
विकास खण्ड-कपकोट
जिला-बागेश्वर

ह०/-

मान सिंह
ग्राम पंचायत दारसिंह
वि०ख०-कपकोट जिला बागेश्वर
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड रूपकोट में चैडाई-दरसिंह
खात्रीगांव नाबीसेरा से भन्वोला तक 9.50 मो. मा.
का निर्माण

प्रपत्र- 23

~~परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड रूपकोट में चैडाई-दरसिंह
खात्रीगांव नाबीसेरा से भन्वोला तक 9.50 मो. मा. का निर्माण~~

दिनांक 18-7-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दरसिंह

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	लेलाई वारा	लेलाई वारा
2	भूपाल राम	भूपाल
3	दली राम	दली राम
(4)	वडादुर राम	वडादुर राम
(5)	जशपालसिंह झाकरोडा	जशपालसिंह
6	जेनेसिंह - do	जेनेसिंह
7	Kishan S h	Kishan S h
8	Bhupendra Singh	Bhupendra Singh
9	महेश्वर सिंह	महेश्वर सिंह
10	जगतसिंह	जगतसिंह
(11)	गोधान राम	गोधान राम
(12)	दयाल राम	दयाल राम
(13)	ललीत राम	ललीत राम
(14)	दनासिंह	दनासिंह

चैडाईसिंह
ग्रामपंचायत
जनपद बागेश्वर
विकास खण्ड रूपकोट
जिला-बागेश्वर

ह0/- Anuran Singh
ग्राम प्रधान
वि0-रूपकोट, जिला-बागेश्वर

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पेंडा
दारसिंह खाती गांव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50
मी. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होराली

तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.15
हे०) अर्थात् कुल 4.95 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुगनाकुरी होराली द्वारा दिनांक 19-9-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम होराली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

दरसिंह
संरपध
ग्राम सचिव
वन पंचायत होराली नाथीसेरा,
पोस्ट-होराली, जिला-बागेश्वर
उत्तरांचल - 246138

ह०/-

ग्राम प्रधान
मालती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत होराली
पोस्ट-कपकोट जिला-बागेश्वर

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विष्णु खण्ड कपकोट में पैठा
दारसिंह खाती गांव नाबीसेरा से भन्नाला तक
9.50 मो. मार्ग का निर्माण

प्रपत्र- 23

दिनांक 19-9-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत होराली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्राप्तासिंह बिज	
2-	माहमाला सिंह	
3	बलवन्त शर्मा	
4	उकाश चौहान	Balwanta
5	श्रीराम सिंह	B
6	प्राप्ता सिंह	
7	महेश सिंह	Banshi
8	महेश सिंह	Banshi
9	गोकुल सिंह	Gokul Singh
10	दरपात सिंह	Darpat Singh
(11)	दीपा सिंह	

ह0/-

ग्राम प्रधान

मालती देवी

प्रधान

ग्राम पंचायत होराली

ख0-कपकोट जिला-बागेश्वर

ग्राम पंचायत होराली नाथीसेरा
पोस्ट-होराली, जिला-बागेश्वर
उत्तरांचल - 247438

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैडा-
दारसिंह स्वातीगाव नाव्हीसेरा से भन्तोला तक 9.50
मी. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पैडा

तहसील का नाम दुर्गापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 9.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.900 हे० वन पंचायत भूमि 3.150
.... हे०) अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुर्गापुरी पैडा द्वारा दिनांक 2-9-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम पैडा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/- Shankar

ग्राम सचिव

ह०/- प्रधान
ग्राम पंचायत कोडन जिन्ही
दुर्गापुरी, जिला बागेश्वर

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास खण्ड कपकोट में पैठाड़-दक्षिण
खात्रीगाव नावीसेरा से भन्तोला तक 9.50 मो. मार्ग
का निर्माण

प्रपत्र- 23

दिनांक 9-3-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पैठाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राम	श्री राम
2	जोगी राम	जोगी राम
3	श्रीवा देवा	श्रीवा देवा
4	रमरीराम	रमरीराम
5	आनन्द प्रसाद	आनन्द प्रसाद
6	रुद्र प्रसाद	रुद्र प्रसाद
7	नैन राम	नैन राम
8	जोगीराम	जोगीराम
9	वडाकर राम	वडाकर राम
10	बुझीराम	बुझीराम
11	महावन्त प्रसाद	महावन्त प्रसाद
12	दान प्रसाद	दान प्रसाद
13	बालचन्द झांगी	बालचन्द झांगी
14	अमर प्रसाद	अमर प्रसाद
15	झांगी	झांगी
16	मुरली देवी	मुरली देवी
17	रुद्र प्रसाद मंडवा	रुद्र प्रसाद मंडवा
18	अमर प्रसाद	अमर प्रसाद
19	मुरली देवी	मुरली देवी
20		

Shankar.

ह0/- ग्राम पंचायत सौदम विवाही
क्षेत्र कपकोट, जिला बागेश्वर
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23
परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास खण्ड कपकोट में
पैडाड - दारसिह खाड़ी गोव नावपीसेरा से
भन्तोला तक 9.50 मो. मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भन्तोला

तहसील का नाम - कोडा, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 112.9 हे० सिविल सोयम भूमि 0.9 हे० वन पंचायत भूमि 3.15 हे०
... हे०) अर्थात् कुल 49.50 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भन्तोला द्वारा दिनांक 21-3-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम भन्तोला के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ह०/-

ग्राम सचिव

सहसंच/सचिव जोगेश राय

ग्राम वन अधिकारी भन्तोला

जिला बागेश्वर

28/12/2016

ग्राम प्रधान

सचिव

ग्राम पंचायत भन्तोला

कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपनेट में चैडा-दारसिह
 रावतीगौव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50 मी. मार्ग
 का निर्माण,
 प्रपत्र-23

दिनांक 21-9-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत भन्तोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रताप राम	
2	प्रताप राम	
3	नवीन कुमार	
	रघु शालराम	
	दीवान राम	
	सुभाषचन्द्र	
	विनीत कुमार	
	प्रभात जावाल	
	यशवन्त	
	प्रकाश चन्द	
	प्रताप राम	
	कल्याण चन्द	
	रामचन्द्र प्रसाद जावाल	
	हरपानराम	
	गीत जोशी	
	वसन्ती देवी	
	दीपा जोशी	
	रामचन्द्र प्रसाद जावाल	

ह0/-

ग्राम प्रधान

बागेश्वर विकास खण्ड
 जिला बागेश्वर

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बाजेरवा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

समस्त रतनीय समिति - बाजेरवा

उपखण्ड बाजेरवा के अन्तर्गत पैडा-दरमिह-नाबीनेरा
म-तेला चो-चांग (कपकोट) प्रखण्ड वन भूमि 0.950 हे. वि. में 0.950 हे. वन बाजेरवा
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.950 हे. वन बाजेरवा
निर्वाह लोक निर्माण विभाग प्रयोज्य एजेन्सी के तहत प्रस्तावित वि. में बाजेरवा
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी के अधिकार की परम्परा अधिनियम 2006
अन्तर्गत उपखण्ड रतनीय समिति (सहरी) दुगनापुरी की दि. 12/09/2015
सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यापक उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति के
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

- 1- श्री जे.राय-चोहान उप जिलाधिकारी
- 2- श्री सतेन्द्र नाथ त्रिपाठी प्रम. गीय वन अधिकारी
- 3- श्री कालिदास त्रिपाठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री मंगल सिंह वन अधिकारी विकास खण्ड कपकोट, डूंगनापुरी
जनपद-बाजेरवा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों की प्रस्तावित कार्यवाही

जनपद बाजेरवा के अन्तर्गत पैडा-दरमिह-नाबीनेरा - म-तेला
चो-चांग 0.950 किमी

भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट
प्रयोज्य एजेन्सी के तहत प्रस्तावित वि. में बाजेरवा वनवासी के अधिकार की परम्परा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनवासी के अधिकार की परम्परा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संबंधित उप प्रमानीय वनवासी बाजेरवा
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
के प्रतिष्ठान को स्थापित कर बाजेरवा वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वि. में बाजेरवा वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
है। इस वन में बाजेरवा वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-
उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति द्वारा उपखण्ड रतनीय वन अधिकार समिति की बैठक में बाजेरवा वन अधिकार समिति के अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परियोजना के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सहम प्राधिकारी से अनुमति प्रदान की जाती है।
 प्रत्यावर्तित किसे जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बागेश्वर
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 विकास खण्ड कपकोट
 जनपद-बागेश्वर

उप जिलाधिकारी / उपखण्ड
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- बागेश्वर (हुगनापुरी)
 जनपद- बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

बागेश्वर
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 विकास खण्ड कपकोट
 जनपद-बागेश्वर

उप जिलाधिकारी / उपखण्ड
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- बागेश्वर (हुगनापुरी)
 जनपद- बागेश्वर

Photo copy Attested
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 कपकोट

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह-खातीगोंव-नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह-खातीगोंव-नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

P. C. Attestee

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड ला.
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level
committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers
(recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 14/09/2015 at time 3:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in Chachai area measuring 4.950 hect for the Construction of Phalthan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhantola motor road (Length 9.500) in Dist-Bageshwer of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 14/09/2015

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
बागेश्वर

P. C. Altested
सहायक जंगल
निर्माण खण्ड सी० नि०
कपकोट

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated...14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of applications for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF has granted certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bhandola motor road (length 9.500) in Bageshwar district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 14/09/2015

f. G. Attest- ed
विभागीय सचिव
कपकोट

Signature

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

जिलाधिकारी
बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated...14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 998 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed road with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bantola motor road (Length 9.500) in Bageshwar.**

Further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Phaithan/Darsingh Village (s)** is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive groups and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

P. C. Attel
निर्माण कार्य हेतु 10 वि०
कपकोट

Bhup Singh Manral
District Collector
Bageshwar
जिलाधिकारी
बागेश्वर

NOTE FOR JUSTIFICATION

1.5

परियोजना का नाम — जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह
—खातीगाँव— नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर बागेश्वर—दोफाड—धरमघर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है जो बिनाडी, पैठाड, होराली, बुदाला, दारसिंह, राजकीय विद्यालय होराली एवं भन्तोला इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 841 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन—पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरक्षण आरक्षित भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरक्षण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरक्षणों पर विचार किया गया है।

समरक्षण नं०-1 इस समरक्षण के अनुसार इस मार्ग का संरक्षण बागेश्वर—दोफाड—धरमघर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 4 न० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरक्षण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरक्षण नं०-2 इस समरक्षण के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरक्षण स्थल बागेश्वर—दोफाड—धरमघर—कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी 34 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 9.750 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरक्षण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 5 न० हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरक्षण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरक्षण नं०-2 को निरस्त कर समरक्षण नं०-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० व चौड़ाई 9 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

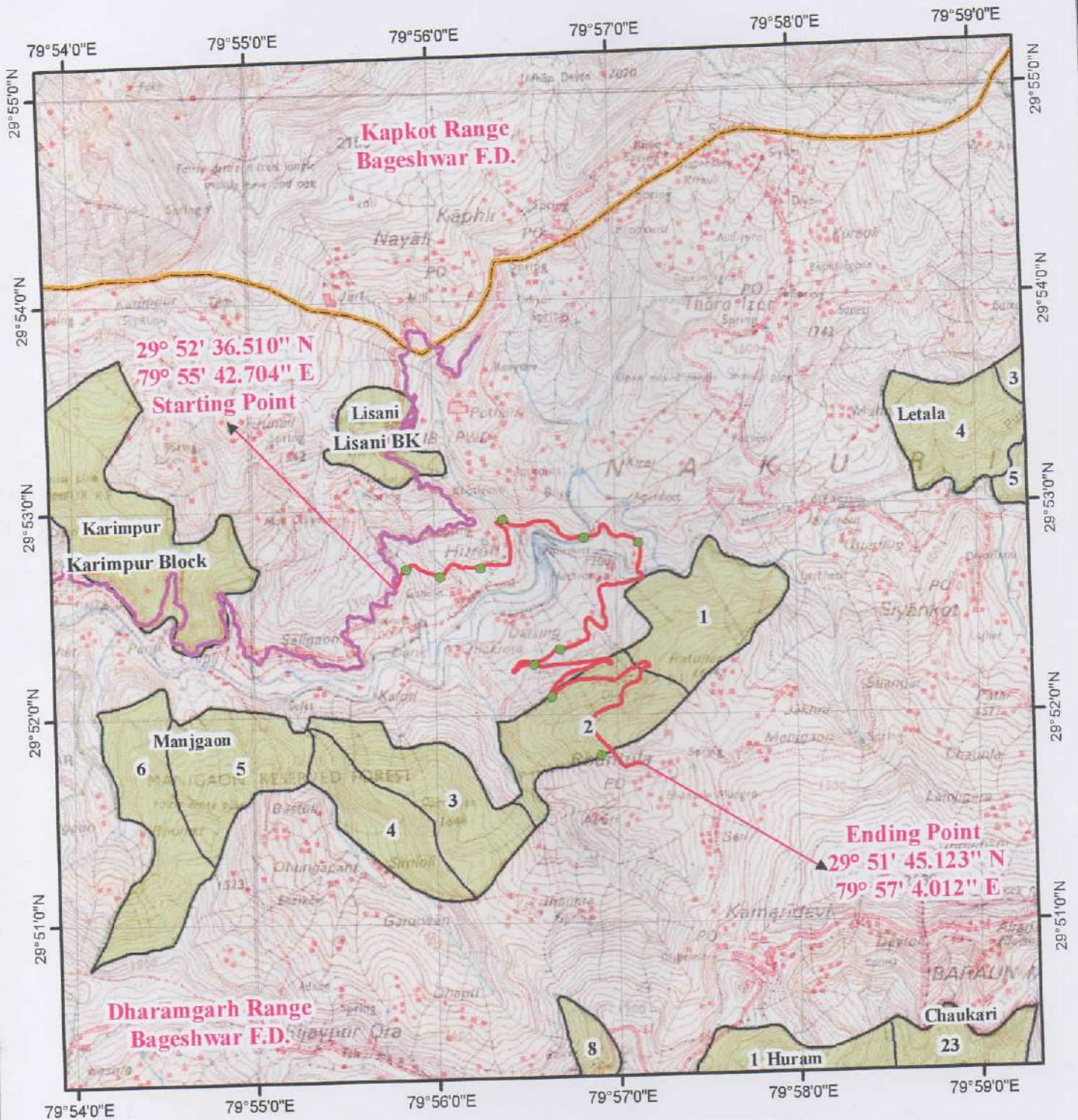
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

डिजिटल मैप - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण - दारसिंग - खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई - 9.50 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2Km
1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकाट

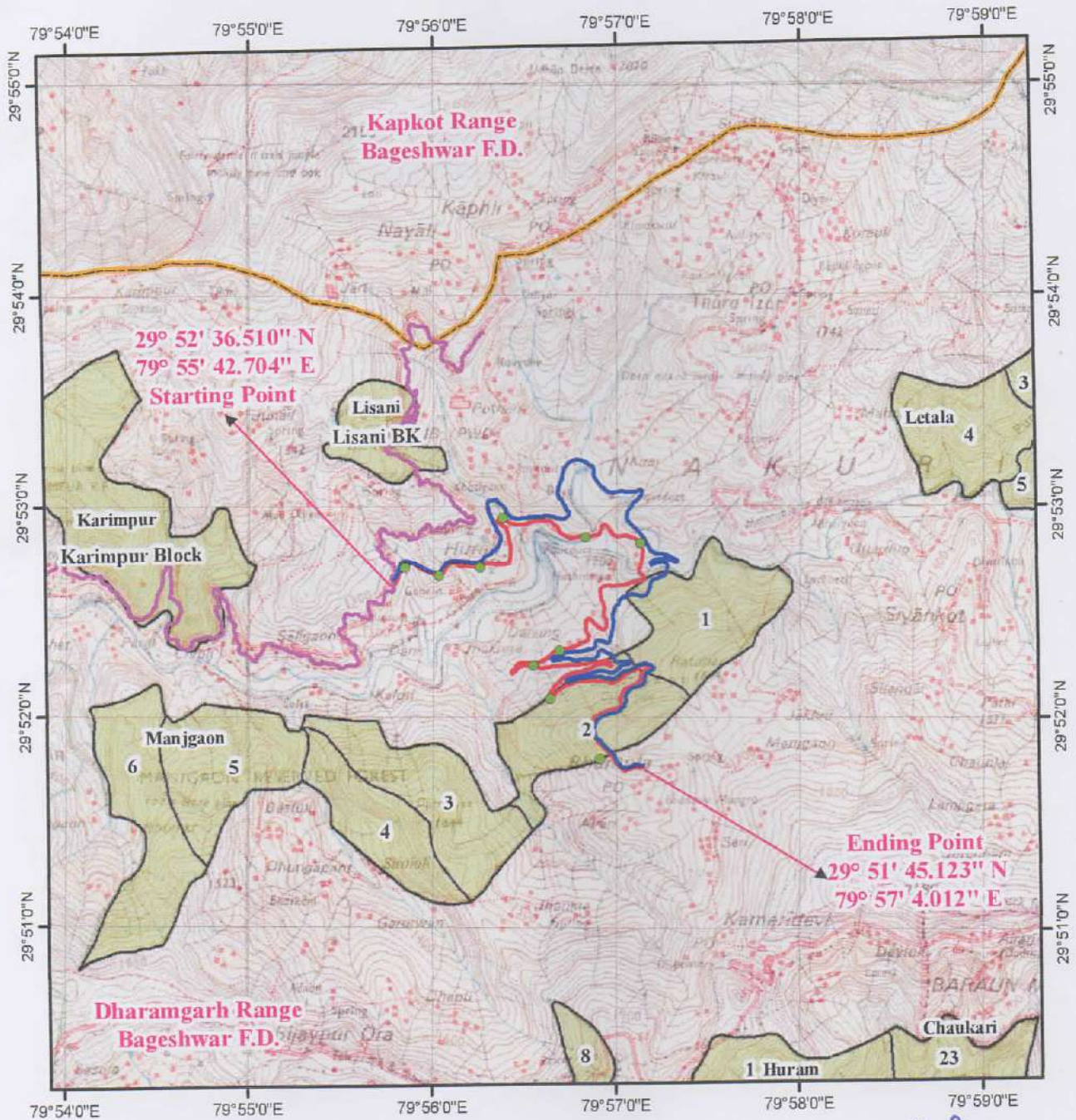
अधिशोसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकाट

प्रभारतीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग – खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 9.50 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2Km

1 : 50,000



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

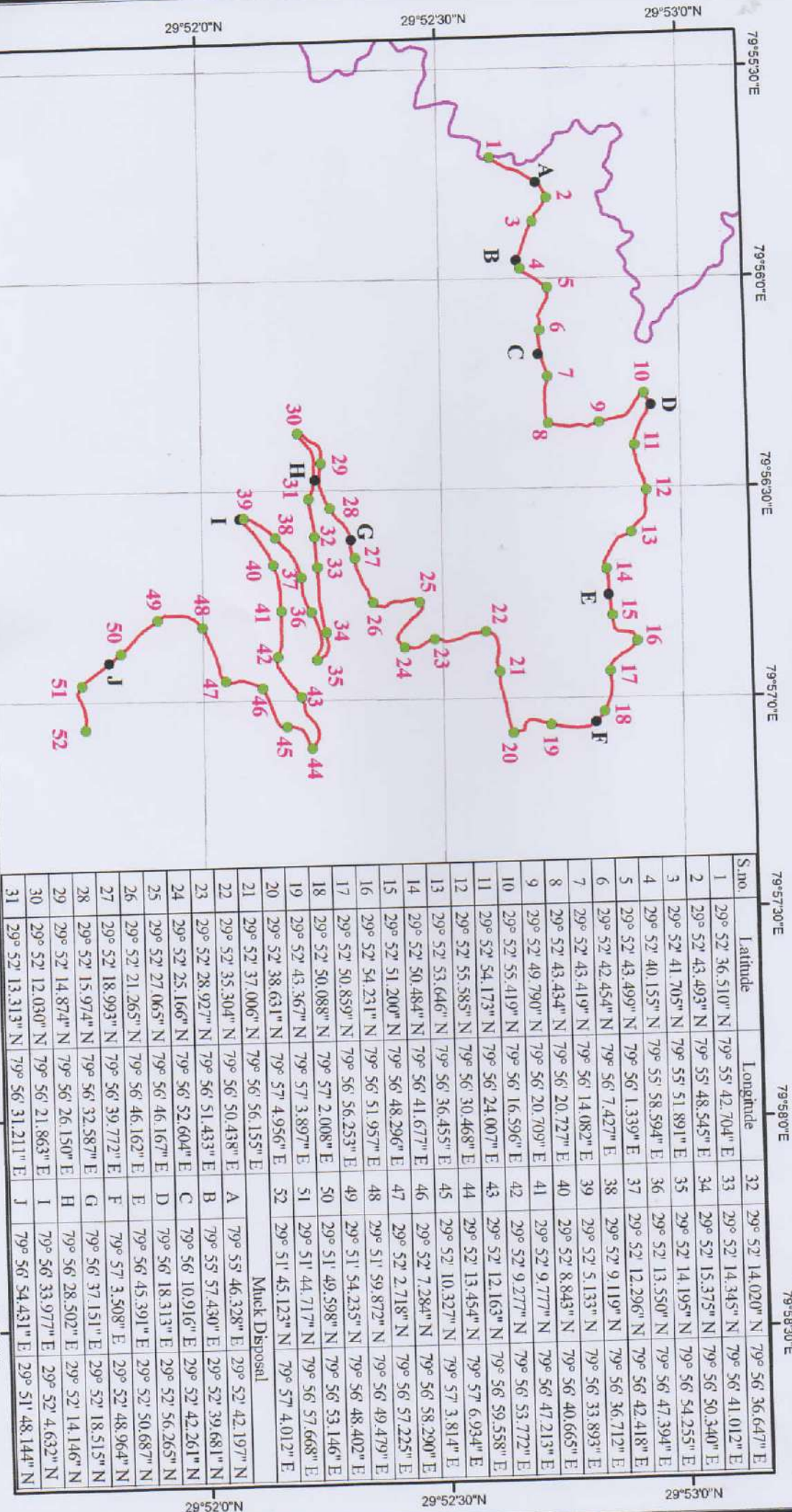
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

प्रभारीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जीयोरफिक मैप - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण - दारसिंग- खातीगांव नाथीसेरा से
भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई - 9.50 कि०मी०)

0 0.25 0.50 1.0
Km
Scale - 1:20,000



Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

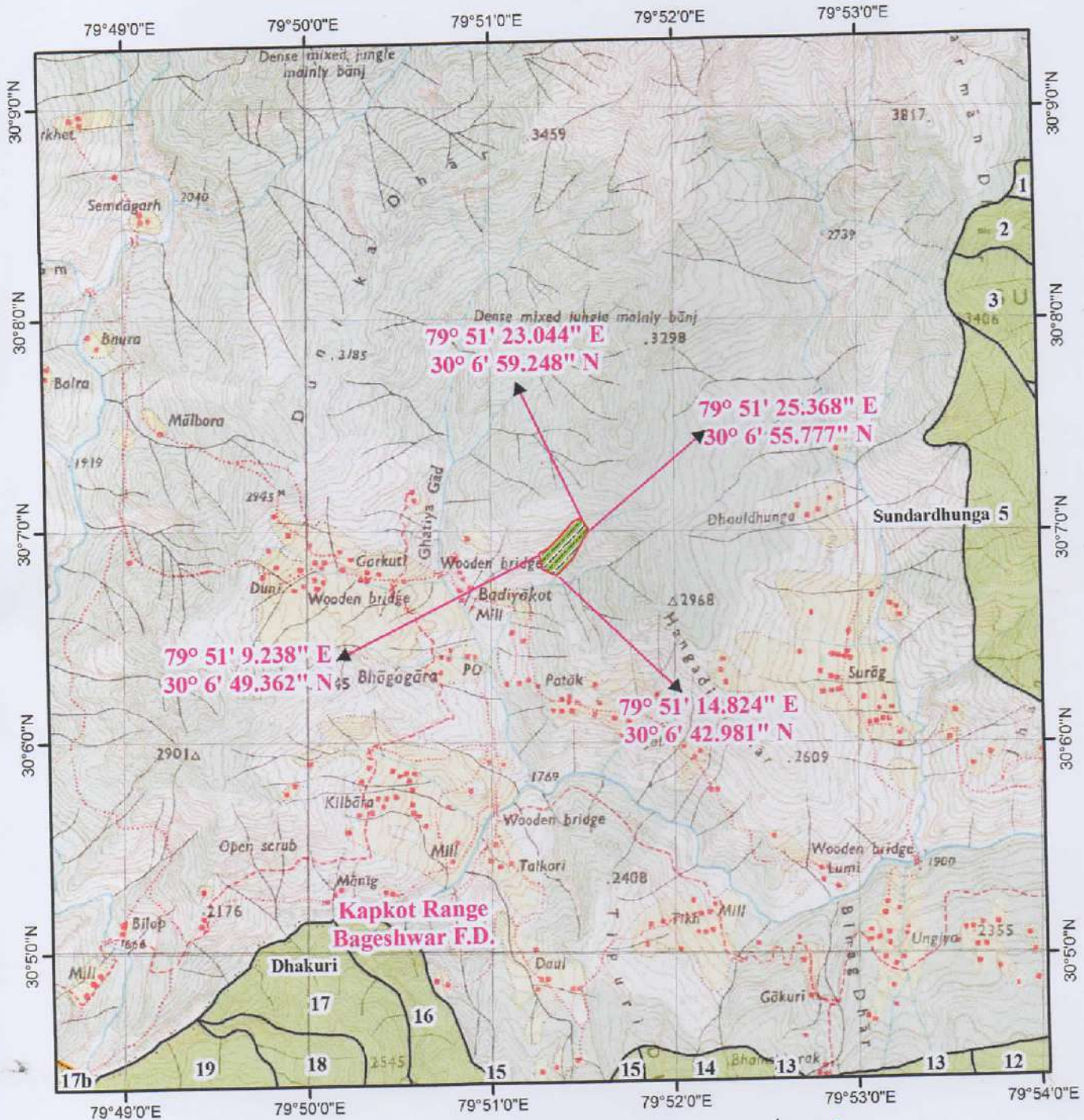
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

क्षेत्रीय दल प्रमुख, बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग– खातीगांव
नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (बदियाकोट सिविल, क्षेत्र – 9.90 है०)

0 0.5 1 1.5 2 Km
1 : 50,000



Legend

-  Proposed Plantation 9.90 Ha.
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary

अभ्यासी वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

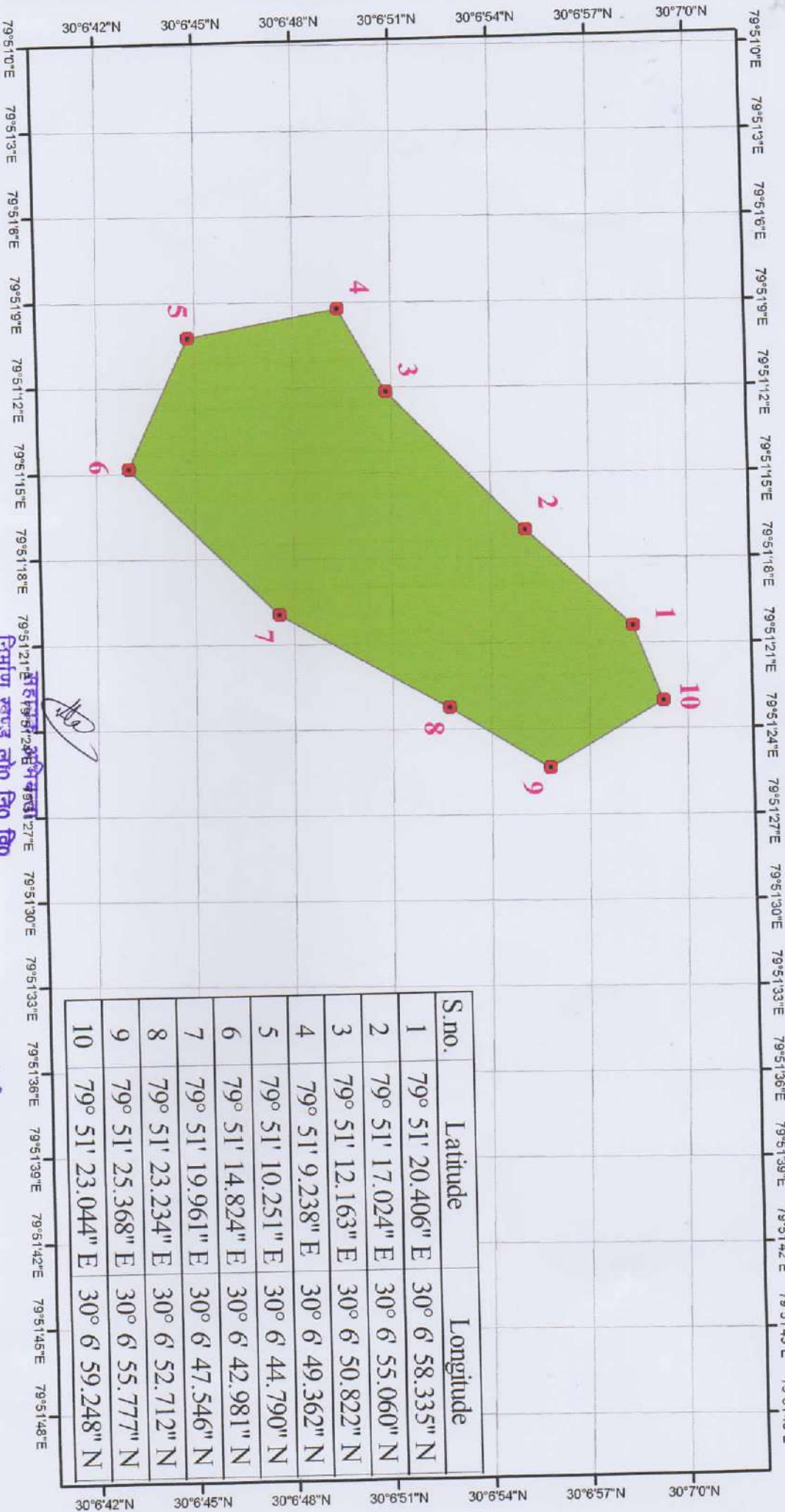
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

जीयोरफिकेन्स मैप – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाण – दारसिंग- खातीगांव नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (बदियाकोट सिविल, क्षे० – 9.90 है०)

0 0.05 0.1 0.2
km

Scale - 1:3,500



S.no.	Latitude	Longitude
1	79° 51' 20.406" E	30° 6' 58.335" N
2	79° 51' 17.024" E	30° 6' 55.060" N
3	79° 51' 12.163" E	30° 6' 50.822" N
4	79° 51' 9.238" E	30° 6' 49.362" N
5	79° 51' 10.251" E	30° 6' 44.790" N
6	79° 51' 14.824" E	30° 6' 42.981" N
7	79° 51' 19.961" E	30° 6' 47.546" N
8	79° 51' 23.234" E	30° 6' 52.712" N
9	79° 51' 25.368" E	30° 6' 55.777" N
10	79° 51' 23.044" E	30° 6' 59.248" N

Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Badiyakot_Civil 9.90 Ha.

निर्माण खण्ड लो० नि० कि०
कपकोट

अधियासा अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० कि०
कपकोट

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड़-दारसिंह खातीगॉंव
नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग ।

Muck Disposal Plan

8- Material received from hill side cutting

In km. 1	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.1 + 1.50) / 2$	=1287.50 cum
In km. 2	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.2 + 1.10) / 2$	=1633.50 cum
In km. 3	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 2.10) / 2$	=1683.50 cum
In km. 4	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.00 + 1.50) / 2$	= 1732.50 cum
In km. 5	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.10 + 1.30) / 2$	=1683.00 cum
In km. 6	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (3.10 + 1.10) / 2$	=2079.00 cum
In km. 7	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.1 + 1.20) / 2$	=1138.50 cum
In km. 8	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.5 + 1.10) / 2$	=1287.00 cum
In km. 9	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.20 + 1.10) / 2$	=1138.50 cum
In km. 10	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 2.10) / 2$	=841.50 cum
Total :-		<u>=14504.00 cum</u>
40% for swell factor :-		<u>=5801.80 cum</u>
Grand total :-		<u>=20305.80 cum</u>

- 9- Total material (muck) used in motor Road
During construction approximate 90% of
Total material in RR dry, HP ston filling.
And surface dressing etc.

= 18275.22 cum

- 10- Balance material (muck) to be deposited in
Muck desposal site. (1-2 above)

= 2030.58 cum

- 11- Cost of cartage balance muck upto dumping site
2030.58 cum @ Rs. 55.00/cum.

= Rs. 111681.90

- 12- Location and capacity of muck dumping yard.
(e) Construction of RR dry wall including
Supply of all materials, labour and T & P
Etc. required for proper completion of the
Work as per PWD detailed specification

Location	Size of dumping yard	QTY (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard
In km 1	1x30x1.50x3.0	=135.00	Nap Land	270.00 cum
In km 2	1x28x2.00x2.00	= 112.00	Nap Land	224.00 cum
In km 3	1x32x2.50x2.0	=160.00	Nap Land	320.00 cum
In km 4	1x80x1.5x2.0	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 5	1x35x1.50x2.50	=131.25	Nap Land	224.00 cum
In km 6	1x28x2.00x1.50	=84.00	Nap Land	168.00 cum
In km 7	1x32x2.00x1.50	=96.00	Nap Land	192.00 cum
In km 8	1x28x1.50x2.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 9	1x35x2.00x1.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
Total:-		= 1033.25		= 2028 cum

(f) Total cost of construction of dumping

Yard 1275 cum @ 330.00 per cum.

= Rs.591442.50

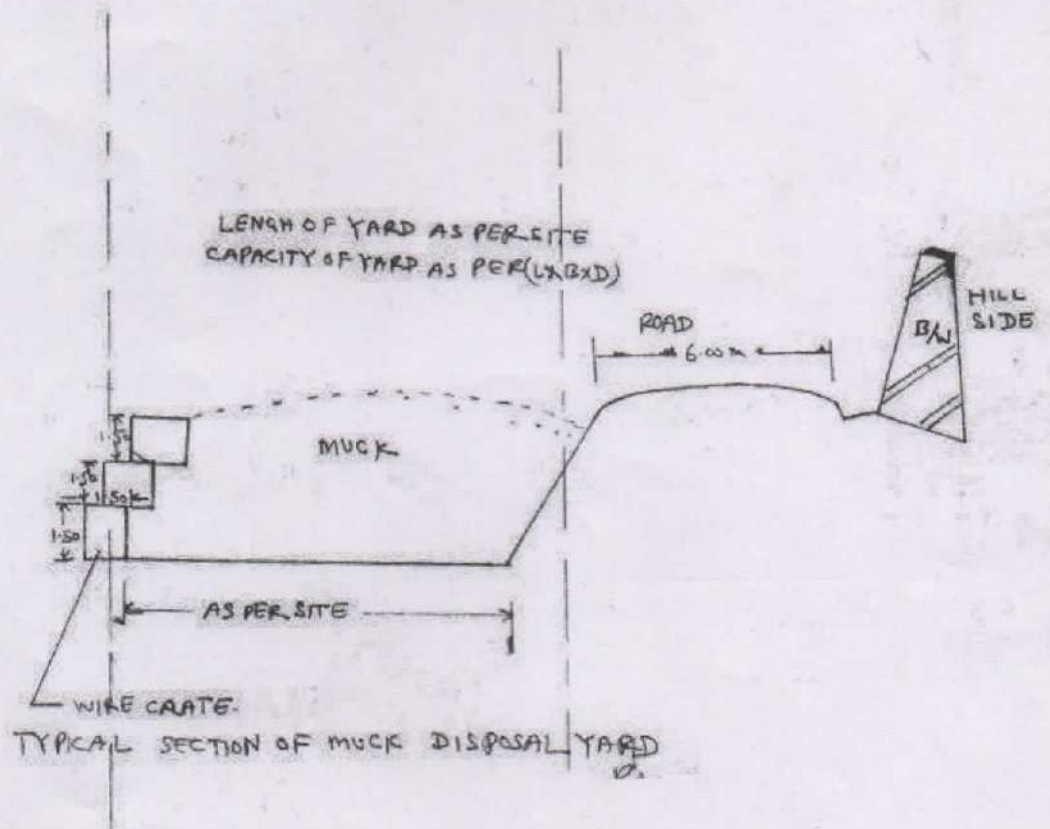
13- Total Cost of muck disposal plan. (4+5 (b))

=Rs 703124.40

14- Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of motor road plantation will be made by the forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट




 अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 कपकोट


 अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 कपकोट

सहमती प्रमाण पत्र

सर्व सहमति से जनपद बागेश्वर में के अर्न्तगत पोठण दारसिंग नाथिसेरा भन्तोला मिलान मोटरमार्ग मे मार्ग कटिंग हेतु मार्ग के दाये ओर बाये ओर पडने वाले नाप भूमी मे मक को रखने हेतु हम अपनी नाप भूमी को देनी के लिये तैयार हू इसमें विभागी दरो पर हो भी मुआवजा बनेगा उसमें हम सभी भूमी धर सहमत है

ग्राम सभा का नाम पोठण / दारसिंग / नाथिसेरा / भन्तोला

कास्तकार का नाम

- 1 जोगासिंह जोगा सिंह
- 2 मादोसिंह मादो सिंह
- 3 हरीशसिंह हरीश सिंह
- 4 दयालसिंह दयाल सिंह
- 5 जगदीशसिंह जगदीश सिंह
- 6 दीवानसिंह दीवान सिंह
- 7 चंचलसिंह चंचल सिंह
- 8 जीवनसिंह जीवन सिंह
- 9 दीवानसिंह दीवान सिंह
- 10 दानसिंह DAN Singh
- 11 लछमसिंह लछम सिंह
- 12 दिवानसिंह दिवान सिंह
- 13 हरेन्द्रसिंह हरेन्द्र सिंह
- 14 आनन्दसिंह आनन्द सिंह
- 15 प्रतापसिंह प्रताप सिंह
- 16 नरेन्द्रसिंह नरेन्द्र सिंह
- 17 सोबनसिंह सोबन सिंह
- 18 रमेशचन्द्र रमेश चन्द्र

रमेश चन्द्र
मुख्यालय/नाथिसेरा

रकवा	खसरा न०	खाता स०	खसरा न०	रकवा	खाता स०
0.0110	4182	37	4184	0.0100	37
0.0180	4189	37	4647	0.0150	37
0.0090	4648	39	4706	0.0210	39
0.0290	4649	39	4707	0.0330	39
0.0280	4652	39	4708	0.0150	39
0.0500	4653	39	4709	0.0180	39
0.0150	4654	39	4712	0.0250	39
0.0460	4655	39	4715	0.0180	39
0.0300	4556	39	4722	0.0160	39
0.0110	4657	39	4723	0.0180	39
0.0150	4658	39	4727	0.0200	39
0.0100	4660	39	4729	0.0240	39
0.0110	4661	39	826	0.0630	25
0.0180	4665	39	2881	0.0080	25
0.0140	4666	39	2882	0.0080	25
0.0130	4668	39	2890	0.0100	25
0.0210	4670	39	2891	0.0100	25
0.0260	4671	39	2911	0.0100	25
0.0260	4672	39	2913	0.0090	25
0.0100	4675	39	2924	0.0090	25
0.0100	4676	39	2928	0.0140	25
0.0260	4680	39	2930	0.0090	25
0.0150	4682	39	2931	0.0160	25
0.0210	4684	39	2933	0.0090	25
0.0160	4685	39	2934	0.0160	25
0.0160	4687	39	2935	0.0160	25
0.0160	4689	39	2936	0.0160	25
0.0310	4690	39	2937	0.0110	25
0.0250	4692	39	2938	0.0130	25
0.0280	4693	39	3760	0.0110	25
0.0100	4696	39	5574	0.0140	25
0.0330	4697	39	5582	0.0140	25
0.0410	4698	39	5584	0.0210	25
0.0110	4703	39	5585	0.0250	25
0.0100	4704	39	5587	0.0090	25
0.0410	4705	39	5588	0.0090	25
0-774				0-573	

38 नाली

अर्थात् कुल नाली 2-54

मन्त्री नाली

1

0.0130	5598	25	5952	0.0200	1
0.0080	5675	25	1173	0.0300	53
0.0100	787	1	1188	0.0110	53
0.0180	1110	1	1194	0.0090	53
0.0100	1111	1	1201	0.0250	53
0.0160	1181	1	1210	0.0250	53
0.0300	1244	1	1216	0.0130	53
0.0290	1245	1	1224	0.0180	53
0.0190	1246	1	1376	0.0160	53
0.0110	1251	1	1377	0.0250	53
0.0200	2554	1	1378	0.0230	53
0.0300	2821	1	1379	0.0310	53
0.0110	2839	1	1388	0.0210	53
0.0100	2855	1	1389	0.0150	53
0.0130	2860	1	3225	0.0260	53
0.0100	2861	1	3226	0.0130	53
0.0130	2862	1	3227	0.0310	53
0.0110	2867	1	3228	0.0090	53
0.0100	3027	1	3229	0.0110	53
0.130	3099	1	3262	0.0100	53
0.140	3101	1	3281	0.0090	53
0.0200	3102	1	3555	0.0150	53
0.0110	3219	1	3948	0.0160	53
0.0160	3238	1	3949	0.0200	53
0.0150	3452	1	3950	0.0180	53
0.0180	3458	1	3951	0.0150	53
0.0100	3693	1	4121	0.0110	53
0.0100	3694	1	4124	0.0100	53
0.0160	3722	1	4388	0.0140	53
0.0110	3800	1	4392	0.0200	53
0.0130	3820	1	4397	0.0150	53
0.0110	3821	1	4399	0.0100	53
0.0130	3939	1	4405	0.0100	53
0.0110	3947	1	4408	0.0140	53
0.0110	4666	1	4410	0.0110	53
0.0100	4469	1	4546	0.0100	53
0.0100	4624	1	4548	0.0100	53
0.0090	5944	1	4550	0.0090	53
0.0160	5947	1	4551	0.0140	53
0-563 हेक्टे 28 नमी				0-618 हेक्टे 33 नमी	

कुल नापशुर्क शेरा 254 हेक्टे

महेश
क. डी. ए.
महाराष्ट्र / नापशुर्क

11